न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 119/2019

प्रार्थीगण :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–.

1. खेतसिंह पुत्र डूंगरसिंह
2. बादरसिंह पुत्र डूंगरसिंह
3. उदयसिंह पुत्र डूंगरसिंह
4. दलपतसिंह पुत्र रावतसिंह
5. जबरसिंह पुत्र रावतसिंह
6. मांगसिंह पुत्र रामसिंह
7. मलसिंह पुत्र रामसिंह
8. दुर्गसिंह पुत्र रामसिंह
9. छतरसिंह पुत्र पन्नेसिंह
10. अपूकंवर पुत्र पन्नेसिंह
11. हुकमसिंह पुत्र गंगासिंह
12. आईदानसिंह पुत्र गंगासिंह
13. सांगसिंह पुत्र पुत्र गंगासिंह
14. गणपतसिंह पुत्र देवीसिंह
15. पीरसिंह पुत्र देवीसिंह
16. खीवसिंह पुत्र देवीसिंह
17. जयसिंह उर्फ जसवंतसिंह पुत्र रामसिंह
    सभी जातियान राजपूत निवासी गवालानाडा तहसील पचपदरा
18. भगाराम पुत्र शिवनाथराम जाति प्रजापत निवासी हलिया
19. सरपंच ग्राम पंचायत गवालानाडा
    तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती करने बाबत

उपस्थितिः– 1. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

'निर्णय'

दिनांक :– 18.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:31:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से तहसील पचपदरा के द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि तहसील पचपदरा को डी आई एल आर एल पी योजनान्तर्गत अतिशीघ्र ऑनलाईन कर सभी सुविधाऐं ऑनलाईन उपलब्ध

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

करवाने के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे है। ऑनलाईन तहसील होने के पश्चात् काश्तकारों को सीधे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ई–मित्र कियोस्क पर समस्त रेकर्ड एवं नक्शें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगें।इससे काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तथा उनका समय एवं धन भी बचेगा। तहसील पचपदरा के सरहद मौजा गवालानाडा में मूल खेत खसरा संख्या 33,34,37,52,53,55,60 व 73 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है।

अन्त में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के मूल खसरे के अनुसार एकीकरण करने का निवेदन किया गया। यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया, प्रार्थी राजस्थान राज्य की और से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 09.01.2020 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर पुन बरामद करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र पुनः बरामद किया गया।

विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थी संख्या 1,4,7,18 स्वंय उपस्थित हुए शेष विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी संख्या 1,4,7,18 के द्वारा इस प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मौजा गवालानाडा में मूल खेत खसरा संख्या 33,34,37,52,53,55,60 व 73 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभजित किये हुए है, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसीस्थिति में उपरोक्त खसरों से विभाजित किये गये खसरों का एकीकरण पूर्व की स्थिति के अनुसार करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2070–73 मय नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मूल खेत खसरा संख्या 33,34,37,52,53,55,60 व 73 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से मौजा गवालानाडा में मूल खेत खसरा संख्या 33,34,37,52,53,55,60 व 73 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभजित किये हुए है, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:31:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

मिलान नहीं हो रहा है, ऐसीस्थिति विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा गवालानाडा में मूल खेत खसरा संख्या 33,34,37,52,53,55,60 व 73 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण करने हेतु प्रसतावित परिशिष्ट अ के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में परिशिष्ट अ के मुताबिक अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट "अ" इस निर्णय के अभिन्न अंग होगा। इस निर्णय से यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:31:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner